



राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग



क्रमांक:- एफ.6(52)प्र.सु./अनु.-3/2016

दिनांक: 31.01.2022

-:आज्ञा:-

राज्य सरकार के बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 164 (2020-21) (20.02.2020) द्वारा यह घोषणा की गई कि "हमारे द्वारा बड़े reform के रूप में सरकारी सेवाओं की गारंटीड डिलीवरी के लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम- 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012 भी लाया गया, परन्तु गत सरकार ने इनके Implementation पर ध्यान नहीं दिया। अब मुख्य सचिव स्तर पर कमेटी का गठन किया जाकर इन अधिनियमों को सही तरीके से लागू किया जायेगा।

उक्त बजट घोषणा की अनुपालना में इन अधिनियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में निम्नानुसार राज्य स्तरीय स्थायी समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है।

क्र. सं.	पदनाम	समिति में पद
1.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	(अध्यक्ष)
2.	अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर, राजस्थान	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
10.	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग	सदस्य
12.	शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
13.	शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
14.	शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग	सदस्य
15.	शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
16.	निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, लोक सेवाएं, जन अभियोग निराकरण विभाग	सदस्य सचिव

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग निदेशालय लोक सेवाएं, जन अभियोग निराकरण विभाग होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)

शासन उप सचिव

क्रमांक:- एफ.6(52)प्र.सु./अनु.-3/2016

दिनांक: 31-01-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
16. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, लोक सेवाएं, जन अभियोग निराकरण विभाग।
17. उप शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग।
18. रक्षित पत्रावली।



शासन उप सचिव